



बेलखाड़-नूनसर रोड के बीच पड़रिया गांव के समीप प्राकृतिक जल स्रोत पर झुंड में दिखे चित्तदार सारस, आर्ड भूमि संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाते हुए। यह फोटो हमें छायाकार रोहित मेहरा ने भेजी है

नाम सुधार सूचना
मैं मोहम्मद अयुब पिता मोहम्मद शाफी निवासी
म.प्र. 712 साउथ तिविल लाइन जबलपुर
म.प्र. शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता
हूँ कि:- 1. यह कि, मैं उपरोक्त पते का रखाई
निवासी हूँ। 2. यह कि, मैं मोहम्मद अयुब
एम.ई.एस. नं. 422572 हेड क्वार्टर चौक
इंजीनियर जोन जबलपुर में असिस्टेंट इंजीनियर
के पद में कार्यरत हूँ, 3. यह कि मेरे ज्युनिंग
लेटर (नियुक्ति पत्र) में तथा अन्य कार्यालयीन
दस्तावेजों में मेरा नाम MOHAMMAD
AYUB लिखा है। 4. यह कि मेरी हत्यार
सेकेण्डरी की अंकसूची में मेरा नाम MOHD
AYUB लिखा है चूँकि मेरे पेशान के पत्र में
अंकसूची के अनुसार मेरे नाम में संशोधन
किया जावे। 5. यह कि MOHAMMAD
AYUB के स्थान पर MOHD AYUB जो कि
मेरी अंकसूची में दर्ज है जो सत्य व सही है।
शपथकर्ता

बुढ़ानसागर मकर
संक्रांति मेला आज से
सिहोरा। जिले के सबसे बड़े तालाब,
बुढ़ानसागर (योहार सरोवर) के तट
पर मकर संक्रांति से लगने वाला
पारंपरिक मेला आज से भरने जा रहा
है। बड़े हनुमान मंदिर से भव्य
शोभायात्रा का आयोजन गाजे बाजे
के साथ किया गया है। सैकड़ों ज्योति
कलाश, ध्वज पताकाएं, हनुमान
ध्वजा के साथ विशाल शोभायात्रा
शुभारंभ बड़े हनुमान मंदिर
बुढ़ानसागर से होगा शोभायात्रा में
यज्ञाचार्य पंडित प्रद्युम्न नारायण
विश्रांती के सान्निध्य में नगर भ्रमण
करेगी, शोभायात्रा।

पोड़ी कला में
प्रशासनिक कार्रवाई
से बेधर हुआ परिवार

नवभारत, मझौली। जिला जबलपुर के ग्राम पोड़ी कला में प्रशासन की कार्रवाई ने शासन के गरीब-कल्याण और आवास सुरक्षा के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्राम निवासी राजेन्द्र शर्मा पिता दुर्गाप्रसाद शर्मा का प्रधानमंत्री आवास योजना से स्वीकृत एवं पूर्ण निर्मित मकान कथित तौर पर परिवार की अनुपस्थिति में, बिना किसी पूर्व नोटिस के जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद पीड़ित परिवार बेधर होकर सड़क पर आ गया, सिर से छत छिन गई और जीवन यापन संकट में पड़ गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि शासन-प्रशासन तत्काल रहने के लिए आवास उपलब्ध कराए, ताकि परिवार सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए घर तोड़ना अमानवीय और गैरकानूनी है। मामले को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संगठनों ने मांग की है कि पीड़ित परिवार को तत्काल उचित मुआवजा, पुनः आवास की समुचित व्यवस्था की जाए और जिन अधिकारियों ने बिना नोटिस यह कार्रवाई की, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। सामाजिक संगठनों ने वेतानवी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

अत्याधुनिक मशीनों द्वारा इलाज
मुँहासे झाड़्याँ
सफेद दाग खुजली
दाद चर्म रोग
हैयरफॉल रंग गौरा करें
रिक्न हेयर
सौन्दर्य क्लीनिक
डॉ. ए.कुमार
पता- 846, छत्रपति भवन, राईट टाउन, नया महावीर
जैन मंदिर, गोल बाजार, जबलपुर (म.प्र.)
मो. नं. 9307854830, 7389098734

SPARK
CONVENT SCHOOL
ADMISSION OPEN 2025-2026
Branch-1: New Kanchanpur, Near Neher, Adhartal, Jabaipur MP (Nursery to 8th)
Branch-2: Vatsala Hill View, Sainik Society, Shakti Nagar, Gupteshwar, Jabalpur MP (Nursery to 5th)
Ph. 0761-4923248, Mob. 9425868370

कार्यालय कलेक्टर जिला सिवनी एवं प्रदेश उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक/99/पू-अर्जन/2026
भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और परवर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत
प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिनों की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की
धारा 15(2) के अंतर्गत कोई विपत्ति की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई
अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की
सर्वसंपत्तिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि, अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और परवर्षिता का
अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर
स्थित स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपत्तित्व :-

Table with 2 columns: 1- परियोजना का नाम, 2- भूमि का विवरण. Includes details like location (Sivani), area (21.21 Hectares), and other administrative information.

Main table listing land acquisition details. Columns include: क्र.सं., सर्वेक्षण संख्या, स्थान/पता, हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता, सीमाएं (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम), वृक्ष, संरचना, and दिनांक. Lists various land parcels and their owners.

Table listing land acquisition details. Columns include: क्र.सं., सर्वेक्षण संख्या, स्थान/पता, हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता, सीमाएं (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम), वृक्ष, संरचना, and दिनांक. Lists various land parcels and their owners.

Table listing land acquisition details. Columns include: क्र.सं., सर्वेक्षण संख्या, स्थान/पता, हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता, सीमाएं (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम), वृक्ष, संरचना, and दिनांक. Lists various land parcels and their owners.

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन
अधिकारी लखनौ जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है। (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का
निरीक्षण कार्यालय यंत्र, एवं व्यवहृत बांध जल संसाधन विभाग क्रमांक-1 चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है। (3) अर्जित की
जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के प्रयोजन का विवरण जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-शेर सिवाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के दृढ़ बंधन स्थित
एवं प्रभाव वेतन निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
(विशान सिंह)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं
भू-अर्जन अधिकारी लखनौ
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
सिवाय स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता
(शौचालय)
कलेक्टर सिवनी एवं प्रदेश उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
सिवाय स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता